निगम की प्राधिकृत पूंजी की अधिकतम सीमा बढ़ाकर छः करोड़ रुपये करती है, जो प्रत्येक एक सौ रुपये की अंकित मूल्य के छः लाख शेयरों में विभक्त होगी।

[एफ. 7-9/91-संग्रह]
आर.एन. तिवारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FOOD

ORDER

New Delhi, the 27th January, 1993

G.S.R. 35(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub section (1) of section 19 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 o 1962), the Central Government, after consultation with the Government c Gujarat, hereby increases the maximum limit of the authorised capital of th Gujarat State Warehousing Corporation to six crores of rupees, divided into si lakh shares of the face value of one hundred rupees each

[F. No. 7-9/91-SG
R. N. TEWARI, Jt. Secy

Printed by the Manager, Govt. of India Press. Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1993

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93

REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 28, 1993/माघ 8, 1914
No. 28] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 28, 1993/MAGHA 8, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1993

सा.का.नि. 36(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) की उपधारा (i) के अनुसरण में और भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की दिनांक 15-12-91 की अधिसूचना संख्या 74(अ) का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित सारणी के कालम 2 में उल्लिखित व्यक्तियों की संख्या विनिर्दिष्ट करती है जिन्हें न्यू मंगलूर पत्तन न्यास के न्यासी मंडल में उक्त सारणी के कालम 1 में उल्लिखित हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना है।

सारणी

हित जिनका प्रतिनिधित्व किया जाना है	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या
(1)	(2)
पत्तन में नियुक्त श्रमिक	2
गोवा शुल्क विभाग	1
कर्नाटक राज्य सरकार	1
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय	1
रक्षा सेवाएं (नौ सेना)	1
भारतीय रेल	1
अन्य हित	4
कुल	11

2 यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1993 से लागू होगी।

[फा. संख्या पी टी-18011/1/92पी टी (i)]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव,